नियमावली

1– संस्था का नाम –एस0 एस0 डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी

2– संस्था का मुख्य पता– 167/4 जनकपुरी, बरेली

3– संस्था का कार्य क्षेत्र–समस्त उत्तर प्रदेश

4– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के **वर्ग**–संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रबन्ध कारिणी समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके निर्णय के उपरान्त ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा। आवेदक का बालिग होना आवश्यक होगा सदस्यता का वर्गीकरण निम्नप्रकार होगा–

आजीवन सदस्य :–

समिति को एकमुश्त 11000/–रुपये नगद या चल/अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति समिति के आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

विशिष्ट सदस्य :–समिति को एकमुश्त 500/रुपये देने वाले प्रतिवर्ष व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य बनेंगे।

साधारण सदस्य :– समिति को एक मुश्त 100/– रुपये प्रतिवर्ष देने वाले व्यक्ति साधारण सदस्य बन सकेंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति :–निम्नलिखित आधार पर सदस्यता की समाप्ति हो जायेगी।

मृत्यु होने पर : जो सदस्य किसी कारण से मृत्यु हो जायेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

पागलपन होने पर : किसी सरकारी चिकित्सक के द्वारा किसी सदस्य को पागल घोषित करने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दण्डित होने पर : ऐसे सदस्य जिनको किसी न्यायालय ने किसी अपराध में दण्डित किया हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दिवालिया होने पर : जो सदस्य दिवालिया घोषित हो जायेंगे उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

सदस्यता शुल्क न देने पर : ऐसे सदस्य जिनका निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न होगा।

मीटिंग में अनुपस्थित : लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति सदस्यता के पात्र न होंगे।

त्याग पत्र स्वीकृत होने पर :–यदि किसी सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने या स्वीकार हो जाने पर।

संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर :–यदि किसी सदस्य द्वारा संस्था के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तथा संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।

6. संस्था के अंग :– (1) साधारण सभा

(2) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :–

गठन :–इस संस्था की साधारण सभा की बैठक की जायेगी जिसमें सभी वर्गों के सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा और सभी सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होगा।

बैठकें :–साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी तथा आवश्यकता होने पर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)

S.S.D. Educational Welfare Society
Cashier President Secretary

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :– 1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. बैठकों में समान मत होने पर निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देना।

3. बैठकों में शान्ती व्यवस्था बनाये रखना।

4. संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना व अपने सुझाव देना।

5. संस्था के हित में कार्य करना।

6. संस्था के सामान्य कार्यपूर्ण कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति उसके स्थाई रूप में कार्य करेगा एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्य करेगा।

प्रबन्धक/सचिव:– 1. समिति की बैठकों का आयोजन करना तथा उनकी तिथि निर्धारित करना।

2. बैठकों की कार्यवाही को रजिस्टर में लिपिबद्ध करना व उसकी बैठक में पढ़कर सुनाना।

3. संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना

4. संस्था को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि दान, चन्दा अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

5. संस्था के कोष का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।

6. समिति के अभिलेखों की सुरक्षा व उनकी तैयारी करना।

7. संस्था द्वारा संचालित संस्थानों, पुस्तकालयों, छात्रावासों आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति करना व पृथक करने, निष्कासन, त्यागपत्र स्वीकार करने का ग्रेड वेतन वृद्धि इत्यादि का अधिकार होगा।

8. संस्था की ओर से मुकदमें, अदालती कार्यवाही की पैरवी करने व पत्राचार आदि का अधिकार होगा।

9. संस्था के अन्तर्गत संस्थानों आदि के क्षेत्र की शिक्षा के विकास हेतु अथवा लाभकारी योजनाओं में निवेश करने का अधिकार होगा।

10. अन्य सभी कार्य करने का जो संस्था के हित में हो करने का अधिकार होगा।

कोषाध्यक्ष :– वह अपने पास 5000/– रुपये तक नकद राशि रख सकता है अधिक धनराशि को बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा एवं बिल वाऊचर तैयार कर उनको पास करायेगा।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :– साधारण सभा की विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसमें बैठक के सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होने के आधार पर संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं उपनियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी परन्तु यह परिवर्तन उस समय मान्य होंगे जब इनकी अनुमति सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त हो गयी हो।

11. संस्था का कोष लेखा व्यवस्था :– समस्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि को स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति के नाम से खोले गये खाते में समिति की समस्त धनराशि जमा की जायेगी इस खाते का संचालन संस्था अध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण:– समस्त आय–व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त

S.S.D. Educational Welfare Society
Cashier / President Secretary

(उन्नाव)

10/7/08

(143)

एस0 एस0 डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी 161/4 जनकपुरी बरेली

प्रबन्धसमिति सूची वर्ष 201[illegible] (प्रभावी 20-09-2015)

क्रम नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्रीमती सविता मेहरोत्रा पुत्री श्री लाल सिंह	179/23 सिविल लाइन्स, बरेली	अध्यक्ष	ग्रहकार्य
2- [illegible] अग्रवाल पुत्र राज किशोर मेहरोत्रा	10 सिविल लाइ[illegible] बरेली	उपाध्यक्ष	ग्रहणी
3- श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रोशन लाल अग्रवाल	10 सिविल लाइन्स, बरेली	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार
4- श्री अनुज अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार [illegible]	[illegible]धुवन क0 छतरी चौराहा पीलीभीत	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5- श्रीमती [illegible] पुत्री श्री [illegible]	31[illegible] बरली पीलीभीत.	सदस्य	ग्रहकार्य
6- श्री सुधीर [illegible] पुत्र श्री राज किशन [illegible]	[illegible] जी गली स्टेशन रोड, बरेली	सदस्य	सी0ए0
7- श्री मनीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल	10 सिविल लाईन्स, बरेली	सदस्य	व्यापार
8- श्री लाल सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह	231 सुभाष नगर, बरेली	सदस्य	नौकरी
9- श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	मधुवन क0 छतरी चौराहा पीलीभीत	सदस्य	व्यापार

सत्य प्रतिलिपि

(पूर्व उपाध्यक्ष)

Proprietary Body of [illegible] Education Welfare Society

(पूर्व कोषाध्यक्ष)

Chairman/Secretary

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)

30/[illegible]/2015